प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
विशाल कॉम्पलैक्स, 19–ए विधान सभा मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस.पी.एम.यू./कम्यू. प्रो./आशा/2012–13/09–03/ 703-72 **दिनांक** 12 **.07.2012**

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु आशा प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। शासनादेश सं0 1867/5–9–2005–9(277)/84 दिनांक 8 जून 2007 एवं सं0 1867(1)/5–9–2005–9(277)–04 दिनांक 20 जून 2007 के अनुसार एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित गतिविधियों में आशाओं को उनके द्वारा किये गये कार्यों हेतु प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

2. वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिये स्वीकृत धनराशि के **भुगतान की प्रकिया को सरल,सुविधाजनक तथा पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से** निम्नवत संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। भारत सरकार को वर्ष 2012–13 हेतु प्रेषित राज्य कार्य योजना (पी0आई0पी0) में 5 मदों की स्वीकृति प्राप्त हुयी है, स्वीकृत मदों का बिवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (₹)
1	किसी भी गर्भवती को गर्भावस्था में उत्पन्न जटिलता की किसी स्थिति में चिकित्सालय तक पहुँचाने के लिये (प्रति केस)	200.00
2	अपने क्षेत्र में एक वर्ष तक के बच्चों को पोलियो डी.पी.टी. के तीन टीके, खसरे का एक टीका तथा विटामिन ' ए ' की खुराक पिलवा कर बच्चे के समय से पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100.00
3	जन्म/मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्र दिलाने पर (प्रति केस)	20.00
4	मातृ–मृत्यु आडिट (प्रति केस)	50.00
5	आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय (प्रति बैठक प्रति माह)	50.00

3. जनपदवार लगभग 90 प्रतिशत आशाओं द्वारा कार्य किया जा रहा है ,जिन्होंने 7 दिन, 12 दिन एवं 4 दिन अर्थात कुल 23 दिन का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, उनके लिये नीचे दी गयी तालिका के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उपर्युक्त तालिका के अनुसार आशाओं के लिये निर्धारित संलग्न वाउचर प्रस्तुत करने पर उनके खाते में बैंक एडवाइस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से धनराशि स्थानान्तरित की जाय।

4. **आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा निर्देश**

1. आशाओं को मिशन फ्लैक्सीपूल मद में अनुमोदित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिये वाउचर प्रणाली लागू है, जिसका संशोधित प्रारूप संलग्न है। आशाओं की मासिक बैठक के दौरान आशाओं से ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित बाउचर की प्रति जमा करायी जाय। बैठक में जमा किये गये वाउचर के अनुरूप बैंक एडवाइस के माध्यम से आशाओं द्वारा किये गये **कार्यों के अनुरूप प्रतिपूर्ति** के रूप में **योजना एवं कार्यकमों** के अनुरूप प्रति सप्ताह/पाक्षिक रूप में अथवा प्रतिमाह सम्बन्धित आशाओं के खाते में इलैक्ट्रोनिक विधि से धनराशि स्थानान्तरित की जाय।

2. प्रयत्न यह होना चाहिए कि ए0एन0एम0 अपने सम्बन्धित आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लें जिससे बैठक दिवस पर आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिये अधिक समय मिल सके।

3. बैंक एडवाइस द्वारा स्थानान्तरित की गयी धनराशि के विवरण की प्रति सम्बन्धित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नोटिस बोर्ड पर आशाओं की जानकारी हेतु अनिवार्य रूप से चिपकायी जाय तथा आशाओं को बैठक में इसकी जानकारी प्रति माह दी जाये।

4. **जिन आशाओं ने कम से कम प्रथम 7 दिन एवं 12 दिन का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, केवल उन्हीं आशाओं को मान्यता दी जाय तथा प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाय। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा यदि किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय तथा भुगतान की गयी धनराशि प्रभारी चिकित्साअधिकारी से वसूल कर ली जाय।**

5. सामान्यतः आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायं। विशेष परिस्थितियों में यथा आशा विहीन क्षेत्र/गॉव में किये गये कार्य के लिये प्रतिपूर्तिराशि अनुमन्य होगी।

6. **जनपदों से प्राप्त फीडबैक एवं भ्रमण के दौरान हुयी जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालयों में आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के जे0एस0वाई0 केस न ला कर अन्य क्षेत्र के केस का प्रमाण प्राप्त कर लेती हैं जो आपत्ति जनक हैं इस हेतु निर्देशित किया जा रहा है कि जिला महिला अधीक्षिका द्वारा आशा का फोटो परिचय पत्र की फोटो कॉपी प्राप्त कर लें तथा परिचय पत्र का मिलान कर आशाओं को जे0एस0वाई का भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जारी किया जाय। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये प्रमुख /मुख्य अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।**

7. जिन आशाओं के फोटो परिचय पत्र खो/नष्ट हो गये हैं, उनका **<u>प्रोबिज़नरी फोटो परिचय पत्र</u>** आशा डेटा बेस के क्रमांक को अंकित कर जारी कर दिये जॉय जिसमें आशा के ग्राम सभा के नाम के साथ ग्राम सभा के मजरों के नाम भी अंकित कर दिये जॉय। अवगत कराना है कि आशाओं के नवीन परिचय पत्र हेतु भारत सरकार से धनराशि की मॉग की गयी है अनुमोदन के उपरान्त अलग से दिशा निर्देश जारी किये जॉयेगे।

8. **<u>नसबन्दी कार्यक्रम / पल्स पोलियो को छोड़कर, आशाओं को कैश भुगतान न किया जाये अन्यथा सम्बन्धित लिपिक एव प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी जनपद में यदि कोई शिकायत मिलती है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आदेशों की अवहेलना के लिये जिम्मेदार होंगे।</u>**

9. भुगतान वाउचर्स पुस्तिका एवं ब्लॉक स्तर पर आशाओं के भुगतान की जानकारी हेतु "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" की प्रिन्टिग हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आशाओं को किये जाने वाले भुगतान सम्बन्धी मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर प्रपत्र–2 (**<u>प्रोटोटाइप संलग्न</u>**) को एक बड़े रजिस्टर में तैयार किया जाय। साथ ही मास्टर पेमन्ट की प्रति कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाय जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। आशा कार्यक्रम को सशक्त करने के उद्देश्य से जिला, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आशाओं से सम्बन्धी बाउचर्स, प्रपत्र/प्रारूप व विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जा रहे है।

10. बाउचर प्रपत्र (प्रारूप–1) एन0आर0एच0एम0 एडीशियनलटी मद से प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिये आशा द्वारा भरा जायेगा। शेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत निहित प्रतिपूर्ति राशि के लिये पूर्ववत उपलब्ध वाउचर/प्रारूप यथावत रहेंगे।

11. ब्लॉक स्तर के "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त किसी विशेष गतिविधि/कार्यक्रम में आशा द्वारा कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी, ऐसी दशा में सम्बन्धित कार्य पर आशा की क्षमतावर्धन की आवश्यकता हो सकती है, जिसके विषय में आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जाये। मासिक बैठक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भेजे जा चुके है।

12. किसी भी सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बजट उपलब्ध होने की दशा में आशा का दो माह से अधिक बकाया भुगतान होने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। सम्बन्धित अधिकारी को सचेत किया जाये, यदि सुधार न हो तो कठोर कार्यवाही की जाये।

13. आशा भुगतान वाउचर्स के सत्यापन हेतु किये गये कार्य का विस्तृत विवरण विलेज हैल्थ इन्डेक्स रजिस्टर पर रखेगी अथवा इन्डेक्स रजिस्टर के अभाव में अलग से सभी कार्यो का विवरण अलग रजिस्टर पर रखेगी, जिसका सत्यापन सम्बन्धित ए.एन.एम./स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14. यदि किसी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित ए0एन0एम0 / ब्लॉक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करें।

15. ब्लॉक पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 स्तर पर आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु एक बड़ा "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की देख रेख में सुरक्षित रखा जायेगा जिसमें मासिक तथा क्रमिक आधार पर ब्लॉक की समस्त आशाओं के भुगतान राशि का रिकार्ड रखा जाय।

16. जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें ब्लॉक पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि, पूर्व बकाया प्रतिपूर्ति राशि की जानकारियाँ कम्प्यूटर पर प्रपत्र–3 के अनुरूप अंकित की जाये।

17. जिला स्तर पर प्रारूप–3 के माध्यम से नियमित रूप से योजना एवं भुगतान की वित्तीय प्रगति का आंकलन हो सकेगा कि किस मद में ब्लॉक पी.एच.सी. को धनराशि अवमुक्त करने की आश्यकता है की जानकारी की जा सकती। राज्य स्तर से अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिये प्रारूप–3 को संलग्न कर अतिरिक्त धनराशि की माँग की जायेगी।

18. मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कम्यूनिटी मोबिलाइज़र,एन.आर.एच.एम. त्रैमासिक रूप से प्रपत्र–3 को राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के महाप्रबन्धक (कम्यूनिटी प्रोसेस) को माह की 7 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

19. आशा भुगतान अभिलेखों को आडिट एवं अन्य जाँच हेतु स्वास्थ्य शिक्षाअधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाए ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके। जहॉं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी नहीं है तो वहॉं एन0आर0एच0एम0 के द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अभिलेखों का रख रखाव किया जायेगा।

5– वित्तीय व्यवस्था

1. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये 5 मदों में आशाओं हेतु प्रतिपूर्ति राशि की स्वीकृति प्रदान की है जिसकी जनपद वार फॉट नीचे दी गयी तालिका में दी जा रही है।
2. भारत सरकार द्वारा भविष्य में जिन मदों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी उसकी जानकारी अलग से दी जायेगी।
3. आशाओं को उनके कार्य के अनुसार वाउचर प्रणाली के अनुसार धनराशि इलैक्ट्रनिकली स्थानान्तरित की जाय।
4. आशा प्रतिपूर्ति राशि की वित्तीय प्रगति मिशन फ्लैक्सीपूल के एफ.एम.आर. कोड सं0 बी.1.1.3 में प्रत्येक माह अंकित कर भेजा जाय।

....5

5. जिन बिन्दुओं पर सी०ए०जी० द्वारा आपत्ति की है ,उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जायेगा। सी०ए०जी० की रिपोर्ट वेब साइट पर उपलब्ध है।

6. आशाओं के भुगतान में वित्तीय अनियमितता के लिया सामुदायिक /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी एवं द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

6–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

नियमित रूप से जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम बना कर आशाओं की बैठक में भाग लिया जाय। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित समस्त बाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाय एवं ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जाय। प्रारूप 3 पर नियमित रूप से वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन किया जाय तथा रिपोर्ट मुख्यालय पर भेजी जाय।

जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा आशा प्रतिपूर्तिराशि, जारी दिशा निर्देशानुसार भुगतान का सत्यापन कराया जाय तथा जनपद स्तरीय आशा मेन्टॉरिंग समूह की त्रैमासिक बैठक में सदस्यों को अवगत कराया जाय।

7–जनपद वार स्वीकृत धनराशि

DISTRICT WISE FUNDS ALLOTMENT FOR ASHA SCHEEM 2012-2013

Sl.	Districts	No of ASHA salected	No of ASHA (90 %)	On taking Complicated Pregnancy Cases to the Health Facility @ Rs. 200 per case (3 cases per year)	Complete Immunization of children up to 1 year of age and Vitamin A Supplementation @ Rs.100 for one case (30 children)	Birth-Death Registration @ of Rs. 20 for each birth and death registration individually. (30 Births and 9 Deaths)	Conveyance for attending the monthly meeting at the PHC once a month @ Rs. 50 per meeting for 12 meetings per year	Maternal Death Audit @ Rs. 50 per case (Occasional 1 case)	TOTAL Funds to Districts in Lacs
1	Agra	2135	1920	1152000	5760000	1497600	1152000	96000	96.58
2	Aligarh	2196	1975	1185000	5925000	1540500	1185000	98750	99.34
3	Allahabad	3894	3585	2151000	10755000	2796300	2151000	179250	180.33
4	Ambedkar Nagar	2444	2200	1320000	6600000	1716000	1320000	110000	110.66
5	Auraiya	1035	930	558000	2790000	725400	558000	46500	46.78
6	Azamgarh	2896	2605	1563000	7815000	2031900	1563000	130250	131.03
7	Bagpat	933	840	504000	2520000	655200	504000	42000	42.25
8	Bahraich	2202	1980	1188000	5940000	1544400	1188000	99000	99.59
9	Ballia	2567	2310	1386000	6930000	1801800	1386000	115500	116.19
10	Balrampur	1496	1345	807000	4035000	1049100	807000	67250	67.65
11	Banda	1257	1130	678000	3390000	881400	678000	56500	56.84

...6

12	Barabanki	2622	2360	1416000	7080000	1840800	1416000	118000	118.71
13	Bareilly	2038	1830	1098000	5490000	1427400	1098000	91500	92.05
14	Basti	2128	1915	1149000	5745000	1493700	1149000	95750	96.32
15	Bhadohi (Sant Ravidas Nagar)	1308	1175	705000	3525000	916500	705000	58750	59.10
16	Bhim Nagar	1463	1315	789000	3945000	1025700	789000	65750	66.14
17	Bijnor	2244	2020	1212000	6060000	1575600	1212000	101000	101.61
18	Budaun	2141	1927	1156200	5781000	1503060	1156200	96350	96.93
19	Bulandshahar	2291	2060	1236000	6180000	1606800	1236000	103000	103.62
20	Chandauli	1603	1440	864000	4320000	1123200	864000	72000	72.43
21	Chitrakoot	852	765	459000	2295000	596700	459000	38250	38.48
22	CSM Nagar	2240	2015	1209000	6045000	1571700	1209000	100750	101.35
23	Deoria	2494	2245	1347000	6735000	1751100	1347000	112250	112.92
24	Etah	1443	1295	777000	3885000	1010100	777000	64750	65.14
25	Etawah	1294	1165	699000	3495000	908700	699000	58250	58.60
26	Faizabad	2056	1850	1110000	5550000	1443000	1110000	92500	93.06
27	Farrukhabad	1497	1345	807000	4035000	1049100	807000	67250	67.65
28	Fatehpur	1856	1670	1002000	5010000	1302600	1002000	83500	84.00
29	Firozabad	1439	1295	777000	3885000	1010100	777000	64750	65.14
30	G.B.Nagar	778	700	420000	2100000	546000	420000	35000	35.21
31	Ghaziabad	688	618	370800	1854000	482040	370800	30900	31.09
32	Ghazipur	3158	2840	1704000	8520000	2215200	1704000	142000	142.85
33	Gonda	2564	2305	1383000	6915000	1797900	1383000	115250	115.94
34	Gorakhpur	2563	2305	1383000	6915000	1797900	1383000	115250	115.94
35	Hamirpur	866	775	465000	2325000	604500	465000	38750	38.98
36	Hardoi	2865	2575	1545000	7725000	2008500	1545000	128750	129.52
37	Hathras	1105	995	597000	2985000	776100	597000	49750	50.05
38	Jalaun	977	875	525000	2625000	682500	525000	43750	44.01
39	Jaunpur	4118	3705	2223000	11115000	2889900	2223000	185250	186.36
40	Jhansi	1167	1050	630000	3150000	819000	630000	52500	52.82
41	JP Nagar	1023	920	552000	2760000	717600	552000	46000	46.28
42	Kannauj	1492	1340	804000	4020000	1045200	804000	67000	67.40
43	Kanpur Nagar	1486	1335	801000	4005000	1041300	801000	66750	67.15
44	Kanpur Dehat (Rama Bai Nagr.)	1700	1530	918000	4590000	1193400	918000	76500	76.96
45	Kashi Ram Nagar	1085	975	585000	2925000	760500	585000	48750	49.04
46	Kaushambi	1370	1230	738000	3690000	959400	738000	61500	61.87
47	Kushinagar	2912	2620	1572000	7860000	2043600	1572000	131000	131.79

...7

48	Lakhimpur Kheri	3117	2805	1683000	8415000	2187900	1683000	140250	141.09
49	Lalitpur	806	730	438000	2190000	569400	438000	36500	36.72
50	Lucknow	1454	1305	783000	3915000	1017900	783000	65250	65.64
51	Maharajganj	1998	1795	1077000	5385000	1400100	1077000	89750	90.29
52	Mahoba	645	580	348000	1740000	452400	348000	29000	29.17
53	Mainpuri	1453	1305	783000	3915000	1017900	783000	65250	65.64
54	Mathura	1544	1390	834000	4170000	1084200	834000	69500	69.92
55	Mau	1746	1570	942000	4710000	1224600	942000	78500	78.97
56	Meerut	1431	1285	771000	3855000	1002300	771000	64250	64.64
57	Mirzapur	1812	1630	978000	4890000	1271400	978000	81500	81.99
58	Moradabad	1521	1368	820800	4104000	1067040	820800	68400	68.81
59	Muzaffarnagar	1653	1487	892200	4461000	1159860	892200	74350	74.80
60	Panchshil Nagar	717	645	387000	1935000	503100	387000	32250	32.44
61	Pilibhit	1310	1175	705000	3525000	916500	705000	58750	59.10
62	Prabhuddha Nagar	856	770	462000	2310000	600600	462000	38500	38.73
63	Pratapgarh	2992	2695	1617000	8085000	2102100	1617000	134750	135.56
64	Rae Bareli	2032	1825	1095000	5475000	1423500	1095000	91250	91.80
65	Rampur	1535	1380	828000	4140000	1076400	828000	69000	69.41
66	Saharanpur	2005	1805	1083000	5415000	1407900	1083000	90250	90.79
67	Sant Kabir Nagar	1206	1085	651000	3255000	846300	651000	54250	54.58
68	Shahjahanpur	2014	1810	1086000	5430000	1411800	1086000	90500	91.04
69	Shrawasti	933	840	504000	2520000	655200	504000	42000	42.25
70	Siddharth Nagar	2002	1800	1080000	5400000	1404000	1080000	90000	90.54
71	Sitapur	3037	2730	1638000	8190000	2129400	1638000	136500	137.32
72	Sonbhadra	1497	1345	807000	4035000	1049100	807000	67250	67.65
73	Sultanpur	2274	2045	1227000	6135000	1595100	1227000	102250	102.86
74	Unnao	2623	2360	1416000	7080000	1840800	1416000	118000	118.71
75	Varanasi	1900	1805	1083000	5415000	1407900	1083000	90250	90.79
		136094	122565	73539000	367695000	95600700	73539000	6128250	6165.02

VIM No. 25

Activity No B1.1.3: Other Incentive to ASHAs (If any)
a) Accompanying Complicated Mother & Newborn to reffered Facility @Rs. 200/-
b) Maternal death reporting @Rs 50/-
c) Complete Immunization @Rs. 100/-
d)Death and Birth Registration @ 20/-
e) Monthly Meting at Block Level @ 50/-

Total Budget: Rs. 6165.01Lakhs

Indicators: 1. Accompanying Complicated Mother & Newborn to reffered Facility
2. Maternal death reporting within 24 hours
3. Complete immunization up to one year
4. Birth and Death Registration
5. Monthly Meeting at Block CHC/PHC

rification of Indicators: 1. List of Accompanying Complicated Mother & Newborn cases reffered to facility as accompanied by ASHA 2. No of Maternal death reported verified by MO I/C for indicator 2 3. List of beneficiaries verified by ANM for indicator 3 4. Certificate verification by ANM/LHV/MoI/C for indicator 4 5. Attendance verification By MOI/C for indicator 5 6. 2% cross check by LHV/MO I/C for indicator 1 & 5
Mode of Disbursement: 1. Full release by SPMU to districts. 2. Initial 50% release from districts to PHC/CHC 3. Next 50% release on submission of SOE, (Voucher has to be verified by ANM), Certification of 2% cross check by LHV/MO I/C

Guidelines:

1. Budget utilization should be done as per guidelines issued separately.
2. Full budget will be released to districts for this activity. The districts will how ever release 50% budget as first installment to PHCs/CHCs. Second installment will be released on submission of SOE,(payment only on vouchers verified by ANM) & certification of 2% cross check by LHV/MO I/C as per format-1
3. For PNC care, ASHA must visit the mother twice in the first week of delivery and ensure colostrum feeding. The list of beneficiaries will be verified by ANM after random check.
4. Maternal death must be reported by ASHA within 24 hours.
5. For maternal death reporting, verification has to be done by Superintendant/MO/IC.
7. For complete immunization, random verification has to be done by ANM/LHV/MO I/C.
8. *CMO will release 2nd installment to PHCs/CHCs under intimation to SPMU and share all documents of PHCs/CHCs required for 2nd release with SPMU for review by MD-NRHM.*

Format-I: Other Incentive to ASHAs (If any): To be submitted for 2% verification by the verifying person-
Name of District---
Name of CMO--
Report for the month of-------------------------------
Details of verification

S.No	Name of the verifying person	Designation	Phone no	Name of ASHA	Phone no of ASHA	Name of beneficiary	Address of beneficiary	Phone no of beneficiary	Service given, PNC/Comp. Immunization, Maternal death reporting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of visiting person

आप से अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति, समस्त प्रभारी अधिकारियों को प्राप्त करा दें तथा इन निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का अन्य किसी मद में व्यय न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्न–यथोक्त</u>

भवदीय

13/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस.पी.एम.यू. / कम्यू. प्रो. / आशा / 2012–13 / 09–03 /   दिनांक   .07.2012

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
3. महानिदेशक परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ का इस अनुरोध के साथ कि वे अपने स्तर से भी कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक,राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त डिवीजनल कार्यक्रम प्रबन्धक / जिला कम्यूनिटी मोबिलाईज़र, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ।
9. समस्त वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्राविधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से भिजवाना सुनिश्चित करें।

(डा0 हरिओम दीक्षित)
महाप्रबन्धक–कम्यूनिटी प्रोसिस

प्रपत्र 1

आशा को एन.आर.एच.एम. एडीशियनलटी मद से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान का प्रपत्र, 2012–13

जनपद का नाम.......................... ब्लॉक का नाम.................................. उपकेन्द्र का नाम..

आशा का नाम.................................... गॉव का नाम.............................. माह........... जमा करने की तिथि.................

क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रू0)	माह में किया गया कार्य (केस संख्या)	माह में कुल अनुमन्य धनराशि	अन्य विवरण (पिछले माह का कोई भुगतान शेष हो)	आशा के हस्ताक्षर	सम्बन्धित ए0एन0एम0 /अधि0 द्वारा सत्यापन	भुगतान का विवरण
1	किसी भी गर्भवती को गर्भावस्था में उत्पन्न जटिलता अथवा नवजात शिशु की किसी जटिलता की स्थिति में चिकित्सालय तक पहुँचाने के लिये (प्रति केस)	200/–						आशा के खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि रू0...... बैंक एडवाइस हेतु जारी चेक सं0............ दिनांक............
2	अपने क्षेत्र में एक वर्ष तक के बच्चों को बी0सी0जी0,पोलियो डी.पी.टी. के तीन टीके, खसरे का एक टीका तथा विटामिन ' ए ' की खुराक पिलवा कर बच्चे के समय से पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु	100/–						
3	जन्म/मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्र दिलाने पर प्रति केस	20/–						
4	प्रा0स्वा0केन्द्र/सा0स्वा0केन्द पर बैठक हेतु यात्रा व्यय	50/–						
5	मातृ मृत्यु की आडिट हेतु सूचना भेजने के लिये	50/–						
	चयनित जनपदों में 10 दिवसीय सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षित आशाओं द्वारा नवजात शिशुओं के 6/7 भ्रमण हेतु (प्रति शिशु)	250/–						
	अन्य							
	कुल योग							

हस्ताक्षर लेखा लिपिक/ब्लाक एकाउन्टेन्ट	*हस्ताक्षर एच.ई.ओ.*		*हस्ताक्षर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी*

प्रपत्र 2

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जनपद ....

आशा योजना के अर्न्तगत आशाओं को विभिन्न मदों में माह में किये जाने वाले कुल भुगतान

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम –

माह –

क्र0 सं0	मद संख्या	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		जननी सुरक्षा योजना			परिवार कल्याण		पल्स पोलियो कार्यक्रम	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	क्षय निवन्त्रण	कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज		एन.आर.एच.एम. एडिशनलिटी मद								
	आशा का नाम	आशा प्रोत्साहन राशि	ग्रामीण केश होने की स्थिति में यात्रा भत्ता देय परन्तु यदि मरीज की तरफ से भुगतान होने पर मरीज को देय होगा	मरीज के साथ ठहरने एवं भोजन पर देय	महिला नसबन्दी	पुरूष नसबन्दी	पल्स पोलियो अभियान	नियमित टीकाकरण	क्षय रोगियो का पूर्ण इलाज	पॉसी वैसिलियरी	मल्टी वैसिलियरी	किसी भी गर्भवती को गर्भावस्था में उत्पन्न जटिलता अथवा नवजात शिशु की किसी जटिलता की स्थिति में चिकित्सालय तक पहुँचाने के लिये	एक वर्ष से कम आयु सम्पूर्ण टीकाकरण व विटामिन ए का घोल प्रदान करने पर	मातृ मृत्यु आडिट हेतु सूचना देने पर	जन्म मृत्यु पंजीकरण कराने पर	प्रा0स्वा0केन्द्र / सा0स्वा0केन्द्र पर बैठक हेतु यात्रा व्यय	चयनित जनपदों में 10 दिवसीय सी0सी0एस0पी0 प्रशिक्षित आशाओं द्वारा नवजात शिशुओं के 6/7 भ्रमण हेतु (प्रति शिशु)	अन्य	माह के अन्त में कुल भुगतान	कमिक भुगतान की गई राशि
	मद की धनराशि	200/-	250/-	150/-	150/-	200/-	75/-	150/-	250/-	300/-	500/-	50/-	100/-	50/-	20/-	50/-	250/-			
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
कमशः–																				

प्रपत्र 3

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जनपद ....

आशा योजना के अर्न्तगत आशाओं को सोलह मदों पर माह में किये जाने वाले कुल भुगतान

वर्ष   माह –

क्रम संख्या	मद	जननी सुरक्षा योजना			परिवार कल्याण			पल्स पोलियो कार्यक्रम			नियमित टीकाकरण/वी.एच.एन.डी. कार्यक्रम			क्षय नियन्त्रण			कुष्ठ रोग का पूर्ण इलाज			एन.आर.एच.एम. एडिशनलिटी मद		
	ब्लाक का नाम	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि	निर्गत राशि	आशाओं को भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गयी धनराशि
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
कुल योग																						

मु0चिकि0अधि0